(ग) इस बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) दिसम्बर, 1964 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह फैसला हुआ था कि एक ऐसी प्रथा अपनाई जाय जिससे राज्य सरकारों से प्राप्त मूल पत्र यदि हिन्दी में हों तो वे उसके साथ एक प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ भी भेजे । जब भी बिना अंग्रेजी अनुवाद के हिन्दी पत्र प्राप्त होते हैं, तो मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी जानने वाले या हिन्दी में प्रशिक्षित वर्तमान कर्मचारियों का उपयोग हिन्दी अनुवाद के काम के लिए किया जाता है और इस काम के लिए अलग से एक अनुवाद एकक की अभी तक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

(ख) मार्च, 1961 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश दिये गये थे कि सचिवालय के जिन अनुभागों के अधिकतर् कर्मचारी मामूली हिन्दी जानते हों वहां फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की इजाजत दे दी जाय । किसी मंत्रालय/विभाग ने फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की छूट न दी हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

(ग) संघ के सरकारी कामों में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिए विभिन्न प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

1682. श्री बिभाम प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में 'रिसर्च असिस्टेंट'' का एक भी पद अब तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों और उन पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कार्यवाही के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) निदेशालय तथा आयोग के अस्थाई पदों को, जिनमें अनुसंधान सहायकों के पद भी शामिल हैं स्थाई पदों में बदलने का प्रश्न विचाराधीन है । अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर, पदों के स्थायी हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

(ग) मामले में अभी कुछ समय लगेगा ।

Suburban Civil Force in Delhi

1683. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Suburban Civil Force in Delhi for its protection;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any units thereof have already been constituted?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Anti-national activities of certain Journalists

1684. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a representation has been made to him by some Members of Parliament against the anti-national activities of certain

journalists working in an important Delhi Paper;

(b) if so, the nature of the complaints made; and

(c) the steps taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) A letter has been received from an M.P. regarding a news correspondent of the 'Times of India'.

(b) The letter has complained about certain news stories put out by this correspondent and their likely effect on the morale of the readers.

(c) The matter is being examined.

Pakistani Nationals Working in Assam

1685. **Shri P. C. Borooah**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over a thousand Pakistani nationals are still working in the industrial and transport organisations in Assam;

(b) if so, whether any instructions have been issued by Government to eliminate these elements from the border areas; and

(c) whether their visas are being renewed from time to time or they are over-staying their terms permitted under the visas issued to them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Unfilled Posts of Assistants and U.D.Cs.

1686. **Shri Eswara Reddy:**
Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of posts of Assistants and Upper Division Clerks lying vacant in various Ministries and Attached Offices of the Government of India participating in the Central Sectt. Scheme as on 1-11-1965;

(b) the reason therefor; and

(c) the steps being taken to fill up those posts?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

12·23 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Collision between Sainthia-Andal Light Train and a goods train at Panchara on 28th November, 1965.

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "28 नवम्बर, 1965, को पंचरा में साइथिया-उंडाल छोटी गाड़ी और एक माल गाड़ी के बीच टक्कर, जिसके परिणामस्वरूप 29 व्यक्ति घायल हुए।"

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): 28-11-1965 को सुबह लगभग 5 बजकर 50 मिनट पर जब 2 डाउन अंडाल-सैंथिया सवारी गाड़ी पूर्व रेलवे के अंडाल-सैंथिया इकहरी लाइन खण्ड पर स्थित पांचरा स्टेशन की मुख्य लाइन पर दाखिल हुई तो वहां खड़ी एक शंटिंग माल-गाड़ी से टकरा गयी। शंटिंग मालगाड़ी कुछ ही देर पहले उस लाईन पर दाखिल हुई थी।

टक्कर की वजह से सवारी गाड़ी का इंजन पटरी से उत्तर गया । इंजन से लगे तीसरे दर्जे के डिब्बे के आखिरी पैनल को थोड़ा नुक्सान पहुंचा ।